राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>अपील संख्या</th><th>अपीलार्थीगण का नाम</th><th>प्रत्यर्थी विभाग</th><th>अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता</th><th>प्रत्यर्थी विभाग की ओर से राजकीय अधिवक्ता</th><th>प्रस्तुतिकरण की दिनांक</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>4221/2024</td><td>सुषमा शर्मा</td><td>1. शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, ब्यावर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, ब्यावर।</td><td>श्री टी.सी. व्यास</td><td rowspan="5">श्री महिपाल खर्रा</td><td rowspan="4">18.12.2024</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>4251/2024</td><td>कुलदीप कुमार</td><td>1. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, हनुमानगढ़।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ढ़ाणी पुनियां चक, हरीपुरा, हनुमानगढ़।</td><td rowspan="3">श्री शिवात्मा कुमार टांक/तरूण वर्मा</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>4252/2024</td><td>अजय कुमार</td><td>1. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, हनुमानगढ़।
4. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय कामरानी, हनुमानगढ़।</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>4253/2024</td><td>मंजू अग्रवाल</td><td>1. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, बारां
4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, महेशपुरा, बारां।</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>4259/2024</td><td>बनवारी लाल मीणा</td><td>1. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
4. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, सांगोद, जिला कोटा।
5. नेहा प्रवीन, अध्यापक ग्रेड–III, लेवल–I (एनटीटी), महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, सांगोद, जिला कोटा।</td><td>श्री राकेश कुमार सैनी</td><td>19.12.2024</td></tr>
</table>

6.	4293/2024	मीनाक्षी धारावत	1. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा, अलवर। 4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा, खैरथल–तिजारा। 5. मुख खण्ड शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, ब्लॉक किशनगढ़ बास, खैरथल–तिजारा। 6. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, घोसाली, किशनगढ़ बास, खैरथल–तिजारा।	श्री घनश्याम दास		19.12.2024
7.	4298/2024	अनुराधा रजवानियां	1. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर। 3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर। 4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, विजयपुरा, जयपुर।	श्री गिरिराज राजोरिया	श्री महिपाल खर्रा	
8.	4301/2024	हेमन्त सिंह	1. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, धौलपुर। 4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भुरापुरा, ब्लॉक सैपऊ, धौलपुर।			
9.	4303/2024	शंकुलता खटीक	1. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, भीलवाड़ा। 4. प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, चन्द्रेस, ब्लॉक करेड़ा, भीलवाड़ा।			
10.	4307/2024	ताराचन्द	1. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, प्रारम्भिक शिक्षा, चुरू। 4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कमासर ब्लॉक सरदारशहर, चुरू।			
11.	4317/2024	यदवेंदु शर्मा	1. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।			

			3. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, बूंदी। 4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, इन्द्रगढ़, ब्लॉक कैशोरायपाटन, बूंदी।			
12.	4360/2024	अर्चना स्वर्णकार	1. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, गंगापुरसिटी 4. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, जलोखेड़ा, गंगापुरसिटी।	श्री गिरिराज राजोरिया	श्री महिपाल खर्रा	20.12.2024
13.	4363/2024	देवेश कुमार	1. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, प्रारम्भिक शिक्षा, बूंदी। 4. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, तलवास ब्लॉक नैनवा, बूंदी।			
14.	4369/2024	उमा कुमारी शर्मा	1. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, धौलपुर। 4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, फुलपुरा, ब्लॉक सैपऊ, धौलपुर।			
15.	4370/2024	जमुना प्रसाद मिश्रा	1. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, ड़ीग। 4. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, धिलावती ब्लॉक कामां, ड़ीग।			
16.	4371/2024	शिव प्रकाश भार्गव	1. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, भीलवाड़ा। 4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गाजुणा, ब्लॉक करेड़ा, भीलवाड़ा।			
17.	4372/2024	नीलम चौहान	1. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, भीलवाड़ा।		श्री महिपाल खर्रा	

			4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गठिला, ब्लॉक खेड़ा, सुवाना, भीलवाड़ा।			
18.	4375 / 2024	जयसिंह मेहता	1. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, बारां। 4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, हाटड़ी, बारां। 5. भोगीलाल, अध्यापक लेवल—I, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, हाटड़ी, शाहाबाद, बारां।	श्री राकेश कुमार सैनी	श्री महिपाल खर्रा	23.12.2024
19.	4378 / 2024	अलका सिकरवार	1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, धौलपुर। 4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मिनौखर।	श्री सलीम खान		
20.	4395 / 2024	नीलम यादव	1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, नीमकाथाना। 4. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, पुरानाबास, जिला नीमकाथाना।	श्री संदीप कलवानियां		
21.	4398 / 2024	सीताराम यादव	1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर ग्रामीण। 4. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, कालवाड़ खुर्द, ब्लॉक आमेर, जयपुर ग्रामीण।	श्री उम्मेद सिंह तंवर		

आदेश की दिनांक : 08.01.2025

समक्ष :— अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या

4221/2024 सुषमा शर्मा बनाम प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

2. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।

3. प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी को ओदश दिनांक 08.12.2024 के आदेश के अनुसार अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड–III, लेवल–II राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सोडपुरा, ब्यावर से राजकीय प्राथमिक विद्यालय, झालामंड, ब्लॉक रायपुर, ब्यावर (राजस्थान) में स्थानांतरित कर दिया गया है। अपीलार्थी का नाम क्रमांक 32 पर दर्शाया गया है। अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान से अधिशेष घोषित किया गया है (अनुलग्नक–1)। राजस्थान राज्य में सरकारी कर्मचारी के स्थानांतरण पर आदेश दिनांक 04.01.2023 द्वारा दिनांक 15.01.2023 से पूर्ण प्रतिबंध है तथा प्रतिबंध अवधि के दौरान अपीलार्थी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया गया है, जो कानून के प्रावधानों के विपरीत है तथा आरोपित स्थानांतरण आदेश रद्द किये जाने योग्य है। वरिष्ठता के अनुसार अधिशेष कर्मचारियों की सूची तैयार किए बिना, अपीलार्थी को अधिशेष घोषित कर दिया गया है और दूरस्थ स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया है। दिनांक 14.11.2024 को अधिशेष शिक्षकों के संबंध में एक दिशा–निर्देश प्रकाशित किया गया था, जिसके अनुसार गैर–स्वीकृत पद के विरुद्ध माध्यमिक एवं प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को अधिशेष माना जाएगा और उन्हें अन्य विद्यालय में स्थानांतरित किया जाएगा, लेकिन अधिशेष शिक्षकों को समायोजित करते समय, संबंधित जिले में वरिष्ठता निर्धारित की जाएगी और ऐसे अधिशेष शिक्षक को पद रिक्त होने पर उसी विद्यालय में या पद रिक्त होने पर उसी राजस्व गांव में या पद रिक्त होने पर उसी प्रखंड में या रिक्त पद के विरुद्ध निकटवर्ती प्रखंड में स्थानांतरित किया जाएगा। अपीलार्थी की सेवाएं स्थानांतरित करने से पूर्व ऐसी कोई कवायद नहीं की गई है और अपीलार्थी को उसी प्रखंड में समायोजित करने के बजाय, उसे अन्य प्रखंड में स्थानांतरित कर दिया गया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी के संबंध में दिनांक 08.12.2024 के आक्षेपित आदेश को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी वर्तमान कार्यरत स्थान पर निरंतर कार्यरत रखा जावे। उपरोक्त समस्त अपीलों में उक्त सामान आधार लिए गए है।

4. हमने अपीलार्थीगणों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। बहस के दौरान अपीलार्थीगणों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर

प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपीलों के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ताओं के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थीगण आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थीगण को दे।

6. अतः उक्त अपीले, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

7. मूल आदेश अपील संख्या 4221/2024 सुषमा शर्मा बनाम प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य पत्रावली में इस आदेश की प्रति संलग्न की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)